

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में चलेगा 45 दिन का विशेष अभियान: डॉ. यादव

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजस्व महा अभियान प्रथम चरण (जनवरी- मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान-2, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा।

अभियान के दौरान सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालय में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नकशे पर तरमीम, पीएम किसान योजना सभी पात्र किसानों को लाभ देना, समग्र का आधार ई-केवाईसी और खसरे की समग्र/ आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वन है। डिजिटल क्राॅप सर्वेक्षण एक अगस्त से 15 सितम्बर तक होगा। डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व महाअभियान के संचालन संबंधित जानकारी ली। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री



कार्यालय संजय कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स बैठक में वरुंचुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी डायरी डिजिटल की जाए। मेन्युअल डायरी प्रथा समाप्त की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ के लंबित प्रकरणों में ई-केवाईसी करें। अच्छा वातावरण निर्मित करें। गौ-शालाओं की क्षमता

अनुसार गौ-वंश रखें, वे सड़कों पर न दिखें। राज्य सरकार द्वारा गौ-शालाओं को दिया जाने वाले अनुदान को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही हो।

डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी मुख्यालय पर रहें, दक्षता के साथ कलेक्टर कार्यवाही करें। अभियान की हर दिन समीक्षा की जाए, साफ-सुथरा कार्य हो,

सीएमएचओ के निर्देश पर डेढ़ दर्जन क्लिनिक्स की हुई जांच

भोपाल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक विनियमन /2024 /248 दिनांक 15/07/2024 के परिपालन में त्वरित कार्यवाही करते हुए भोपाल में पहले ही दिन क्लीनिक्स, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी लैब्स व कलेक्शन सेंटर्स की जांच व सत्यापन का अभियान प्रारंभ कर दिया है। सोमवार को कार्यालय द्वारा गतिव 8 दलों द्वारा भोपाल के विभिन्न इलाकों में संचालित 17 क्लीनिक्स में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की सघन जांच की गई। निरीक्षण दल द्वारा चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन , म प्र उपचार्यगृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम , गुमास्ता लाइसेंस की जांच की गई। जांच के दौरान अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु पुलिस, नगर निगम, औषधि प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सूचना दी जा रही है।

एसबीआई द्वारा योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया

भोपाल(काप्र)। भारतीय स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केन्द्र भोपाल द्वारा बैंक के नवनियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारीगण एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षण योग गुरु महेश अग्रवाल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर केन्द्र के निदेशक संजय कुमार ने कहा कि किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य की प्रगति के लिए न केवल उसको शारीरिक रुप से स्वस्थ होना चाहिए, बल्कि उसका मानसिक रुप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। इस अवसर पर प्रमुख रुप से संकाय प्रमुख मुख्य प्रबंधक नीरज यागिनक सहित पूरे देश से बैंक के नवनियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहें। योग गुरु महेश अग्रवाल ने योग आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास का प्रशिक्षण देते हुए यौगिक जीवनशैली और चक्रों की सजगता के बारे में बताया कि स्नायुतंत्र और मस्तिष्क के बीच व्यवहार का एक संबंध होता है, वैसे ही व्यवहार का एक संबंध सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों का मस्तिष्क के साथ होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि शरीर का व्यवहार मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है।



भाजपा है कार्यकर्ता आधारित पार्टी:आलोक

भोपाल (हिनप्र)। भाजपा गुरुनाक मंडल कार्यसमिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सांसद आलोक शर्मा कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए मंडल के सभी बूथ अध्यक्षों का सम्मान प्रशस्ति पत्र, शाल एवं छाता देकर आभार जताया गया। शर्मा ने कहा के चुनाव में दिन रात एक कर के भाजपा संगठन के लिए काम करने वाले प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता के आभारी है, एवं आगामी पांच वर्षों में सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। बूथों पर चुनावी रण में सेनापति की भूमिका निभाने वाले बूथ अध्यक्षों को भी शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया बाकी पार्टी जैसे भाजपा किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं चलती है, भाजपा है जो विचारधारा की पार्टी है।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

लंबित याचिकाएं...

अदालत वर्तमान में देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष तथा अन्य कुछ संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा 5 मई को आयोजित की गई नीट-यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा था कि आईआईटी मद्रास के संबंधित विशेषज्ञों द्वारा नीट के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। शीर्ष अदालत ने स्थानांतरण याचिका को नीट (यूजी) परीक्षा रद्द करने की मांग वाली मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया जिन पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। हालांकि उसने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। एनटीए का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने जब जोर देकर राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया तो खंडपीठ ने कहा कि एक बार हमारे नोटिस जारी करने के बाद आम तौर पर उच्च न्यायालय आगे सुनवाई नहीं करते हैं। इससे पहले 20 जून को शीर्ष अदालत ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष नीट (यूजी) पेपर लीक से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी और एनटीए को ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के आवेदन वापस लेने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को जारी आदेश में ग्रेस मार्क्स के जुड़े मामले को समाप्त करने का फैसला किया था क्योंकि एनटीए ने अदालत को बताया था कि वह 1,563 छात्रों को दिये गये ग्रेस मार्क्स वापस ले रही है। इन छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने या अपने मूल मार्क्स से संतोष करने का विकल्प दिया गया था। इस बीच शीर्ष अदालत के समक्ष अपने हालिया शपथपत्र में केंद्र सरकार ने बताया है कि आईआईटी मद्रास द्वारा किये आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 5 मई को आयोजित नीट (यूजी) परीक्षा में न तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और न ही किसी स्थान विशेष के छात्रों को अंकों के मामले में कोई फायदा हुआ है।

हिंडनबर्ग मामले पर...

गया। वहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाजार नियामक सेबी आरोपों की जांच कर रहा है. याचिका में कहा गया था कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों के बाद की गई 24 जांचों की स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को केवल अपडेट किया था, चाहे वे पूरी हों या अधूरी हों, मगर किसी भी डिटेल का खुलासा नहीं किया था. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेबी ने उन 24 मामलों में से 22 में अपनी जांच पूरी कर ली है, जहां अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाए गए थे. हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के विरुद्ध धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य हेरफेर सहित अनेक आरोप लगाए जाने के बाद, शेयर बाजार में अडानी समूह

के शेयरों में भारी गिरावट आई थी. हालांकि, अडानी समूह ने इन आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था।

ओली ने नेपाल...

पड़ा। राष्ट्रपति के बुलावे के तुरंत बाद 72 वर्षीय श्री ओली अपने नए गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे थे। कोई अन्य दावेदार नहीं होने के कारण, श्री ओली ने अपने समर्थन में 166 विधायकों (कांग्रेस के 88 और यूएमएल के 78) के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए थे। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में, सरकार बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या 138 है।

प्राकृतिक आपदाओं और...

मार्शल द्वीप समूह गणराज्य के लिए डिसेलिनेशन इकाइयों और डायलिसिस मशीनों के प्रस्तावों पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा माननाहै कि आज के समझौता ज्ञापन से चार सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। मुझे खुशी है कि इन परियोजनाओं में अहलुक एटोल में सामुदायिक खेल केंद्र, माजिद द्वीप पर हवाई अड्डा टर्मिनल, अनों और बोटेई एटोल में सामुदायिक केंद्र शामिल हैं। ये निश्चित रूप से मार्शल द्वीप के लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। भारत अपने इंडो-पैसिफिक भागीदारों के साथ और अधिक काम करने के लिए हमेशा तैयार है।

लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिक पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। इससे जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब मांगा था लेकिन अब तक जवाब न फाइल होने की वजह से मामले की सुनाई टलती रही थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि इस मामले में सरकार को बताना चाहिए कि अभी तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली है? अब तक इसके लिए चुनाव क्यों नहीं हुआ है? पिछले साल दाखिल जनहित याचिका में ये आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के जवाब की मांग की गई थी कि लोकसभा के 4 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी सदस्य को लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए नहीं चुना जा सका है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 93 स्पष्ट रूप से कहता है कि लोकसभा में स्पीकर के अलावा एक डिप्टी स्पीकर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका शारिक अहमद की तरफ से दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और झारखंड की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है, जो संविधान के अनुच्छेद 178 का उल्लंघन है।

प्रापर्टी के मालिकाना हक को लेकर सिंधी सेन्ट्रल पंचायत ने मांगा सीएम से समय



भोपाल (हिनप्र)। सिंधी (सेन्ट्रल) पंचायत के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया गया कि आजादी के 76 साल बाद भी सनातनी धर्म एवं देश की आजादी की खातिर अपना वतन सिंध प्रदेश (अब पाकिस्तान में) छोड़कर यहां आने वाले सिंधी हिन्दू परिवारों को उनकी प्रापर्टी का मालिकाना हक नहीं मिल सका है इसके अलावा वन ट्री हिल्स के 500 भूखण्डों के लीज नवीनीकरण का मामला भी दूसरी बार प्रीमियम राशि जमा करने के बावजूद सुलझ नहीं पाया है। इस समस्या के लिए पंचायत ने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से समय की मांग की है।

पंचायत अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश इसरानी की अध्यक्षता में पंचायत कार्यालय में हुई। बैठक में तय किया गया कि महापौर कार्यकाल के दौरान संत हिरदाराम नगर में करोड़ों के विकास कार्य कराने वाले एवं लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने आलोक शर्मा व संत हिरदाराम नगर को अनेक

सौगातें देने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा का पंचायत द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। बैठक में संरक्षक ईश्वरदास हिमथानी ने सुझाव दिया कि मोबाइल पर बात करते समय हेलो की जगह सिंधियों के इश्ट देव भगवान झुलेलाल की जाय, बोला जाए, इस पर सभी ने सहमति व्यक्त करते हुए संकल्प लिया अब अब जय झुलेलाल ही बोला जाएगा।बैठक में उपाध्यक्ष नरेन्द्र लालवानी ने संतनगर में हाथ ठेलों की समस्या रखी। बैठक में तय किया गया कि जल्द ही प्रतिनिधि मण्डल महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा एवं नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करेगा। इसके अलावा व्यापारियों की एक संयुक्त बैठक भी बुलाई जाएगी, आवश्यकता हुई तो संतनगर बंद का आह्वान भी किया जाएगा।

श्री नारायण गुरुदेव भक्तजन समाज का गठन हुआ

हिरदाराम नगर। जगदगुरु श्री नारायण गुरुदेव भक्तजन समाज सीटीओ, संतनगर की वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया। के. टी. कन्नन चेयरपेर्सन/मार्ग निदेशक, पी. अरविन्दाक्ष अध्यक्ष, आर. के धनक उपाध्यक्ष, टी.वी. सुब्रम्हणियन जनरल सेक्रेट्री, योगेश कुमार सेक्रेटी, हर्षा कुमार प्रार्थना सेक्रेटी और राधा प्रसाद कोषाध्यक्ष बनाए गए।



कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यात्रिकीय खण्ड सीहोर, म.प्र.

Mail I.D. eephseh@nic.in Fax No. : 07562-224092, Telephone No.07562-224092, NEW BUS STAND SEHORE (M.P.)

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 03/नि.प्र./खण्ड सीहोर/लोस्वााँवि/2024- 25

चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना सीहोर, दिनांक 11.07.2024

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने के दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा ऑनलाइन निविदाओं में निहित शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती है, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं कार्यो का विवरण वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी समस्याओं हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा

निविदा क्रमांक	कार्य	अनुमानित लागत (रु. में)	घटोहर राशि (रु. में)	निविदा प्राघ्न का मू. (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2024_PHEd_356973_1	सीहोर ज़िले के विकासखण्ड बैरूदा के ग्राम खजूरी अन्तर्गत शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में स्थित 60 कि. ली.जल संग्रहण क्षमता की क्षतिग्रस्त आर.सी.सी उच्चस्तरीय टकी तोंडन का कार्य।	71531.00	1431.00	1000.00	30 दिवस
क्रमांक	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित निविदा कार्यक्रम (की-डेट्स) एवं समय			
1.	ऑन लाइन बिड सबमिशन की अन्तिम दिनांक	24.07.2024 05.30 PM			
2.	बिड ओपनिंग दिनांक	25.07.2024 05.30 PM			
G-13509/24	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग खण्ड सीहोर (म.प्र.)				

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.) निविदा सूचना

भोपाल, दिनांक 09.07.2024

क्र.	पोर्टल टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि
1	2024_PWDRB_356286_1	उपसंभाग क्रं-3, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत सेवशन क्र.-8 एवं 18 के साधारण, विशेष मरम्मत मार्गों पर सी.सी. शोल्डर, नाली, सेन्ट्रल वर्ज फुटपाथ एवं अन्य सिविल का कार्य।	प्रथम आमंत्रण	35.00	50000.00
2	2024_PWDRB_356287_1	उपसंभाग क्रं-3, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत सेवशन क्र.-7बी, 26 एवं 27, के साधारण विशेष मरम्मत मार्गों पर सी.सी. शोल्डर, नाली, सेन्ट्रल वर्ज फुटपाथ एवं अन्य सिविल का कार्य।	प्रथम आमंत्रण	34.00	50000.00
3	2024_PWDRB_356288_1	उपसंभाग क्र. 3 लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत मार्गों पर सेन्ट्रल वर्ज फुटपाथ का मरम्मत प्लास्टर सहित, सीमेंट कांक्रीट तथा सेन्ट्रल वर्ज एवं फुटपाथ पर पेंटिंग का कार्य	प्रथम आमंत्रण	35.00	50000.00
4	2024_PWDRB_356289_1	नया भोपाल संभाग, लो.नि.वि. भोपाल अंतर्गत उपसंभाग क्र. 3 के अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों के समारोह हेतु बैरिकेटिंग का कार्य	प्रथम आमंत्रण	30.00	50000.00
5	2024_PWDRB_356290_1	उपसंभाग क्र.-3, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत सेवशन क्र.- 7बी, 08, 18, 26 एवं 27 में मिट्टी एकत्रीकरण का कार्य।	प्रथम आमंत्रण	25.00	50000.00
		योग		159.00	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र फ़ाय एवं सबमिशन करने की अंतिम तिथि 26.07.2024 सायं 5.30 बजे निर्धारित है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है विस्तृत वन.आईटी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)